

**दिनांक 28.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला
सभागार में आयोजित उद्योग मित्र की बैठक की कार्यसूची :-**

स्थान :- जिला सभागार, चम्पावत।

विगत बैठक जो दिनांक 10.05.2023 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, का कार्यवृत्त पत्र संख्या 258/उद्योग मित्र बैठक/2022-23 दिनांक 30 मई, 2023 के द्वारा संबंधितों का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

कार्यालय स्तर पर तत्संबंधित समस्याओं पर निम्नवत कार्यवाही की जा रही है :-

(I) मिनी औद्योगिक आस्थान :-

(अ) दिनांक: 28 फरवरी, 2023 को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी, चम्पावत में इकाईयों द्वारा निर्धारित राजकीय शुल्क नहीं जमा किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय कि " इकाईयों को विधिक नोटिस देकर भूखण्डों की देयता की गणना कर वसूली की कार्यवाही की जाय" के क्रम में निम्नानुसार इकाईयों की देयता की गणना की गई है एवं धनराशि जमा करायी गयी है :-

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित भूखण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग. मी.)	दिनांक: 10 मई, 2023 तक कुल देयता (रूपये में)	आतिथि तक कुल जमा धनराशि	अवशेष धनराशि (मूलधन + ब्याज + दण्ड ब्याज)
1	मैसर्स बगौली फर्नीचर	5	171.00	61824.00	9000.00	52824.00
2	मैसर्स होटल प्रिया	8	170.50	41782.00	0	41782.00
3	मैसर्स न्यू शाह मोटर्स	9	264.00	63005.00	30844.00	24104.00
4	मैसर्स पुनेठा ऑफसेट प्रिन्टर्स	10	123.75	17971.00	0	17971.00
5	मैसर्स हरे कृष्ण गमला उद्योग	11	123.75	52228.00	13500.00	15336.00
6	मैसर्स जयदुर्ग फर्नीचर उद्योग	12	123.75	39397.00	2000.00	37397.00
7	मैसर्स होटल केशव	13	123.75	21595.00	0	21595.00
		14,15	247.50	57565.00	0	57565.00
8	मैसर्स अधिकारी सीमेंट ब्लॉक उद्योग	16	123.75	36290.00	36290.00	पूर्ण भुगतान
9	मैसर्स बाराही टिन इंडस्ट्रीज	17	123.75	72578.00	0	72578.00
10	मैसर्स अंकुर इलेक्ट्रॉनिक्स	18	123.75	35888.00	1724.00	34164.00
11	मैसर्स खर्कवाल इंजीनियरिंग	19	123.75	37431.00	15000.00	22431.00
12	मैसर्स पार्वती मसाला उद्योग	20	123.75	26212.00	16370.00	9842.00
13	मैसर्स सावित्री फल संरक्षण उद्योग	21	181.25	78426.00	20000.00	58426.00
14	मैसर्स उर्मिला हौजरी	22	93.75	12115.00	0	12115.00
15	मैसर्स अमन इंटरप्राइजेज	23	112.50	24479.00	0	24479.00
16	मैसर्स अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स	24	112.50	27805.00	14800.00	13005.00
17	मैसर्स महाकाली बेकरी उद्योग	25	150.00	46891.00	28419.00	18472.00
18	मैसर्स विजय टायर रिट्रेडिंग उद्योग	26	112.50	33162.00	20970.00	12192.00
19	मैसर्स श्री राम फल संरक्षण उद्योग	27	108.75	42765.00	19550.00	23215.00
20	मैसर्स लधौनपुरा मसाला उद्योग	28	106.88	36567.00	0	36567.00
21	मैसर्स पगरिया ढाल एव नमकीन उद्योग	29	102.50	23910.00	11375.00	12534.00
22	मैसर्स सूरज मार्बल उद्योग	30	201.00	56013.00	24356.00	31657.00
23	मैसर्स विश्वकर्मा मूर्ति उद्योग	31	150.00	39381.00	2215.00	31847.00

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित भूखण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग. मी.)	दिनांक: 10 मई, 2023 तक कुल देयता (रूपये में)	आतिथि तक कुल जमा धनराशि	अवशेष धनराशि (मूलधन + ब्याज + दण्ड ब्याज)
24	मैसर्स सार लैदर प्रोडक्ट	32	105.00	27237.00	0	27237.00
25	मैसर्स अमर ज्योति मसाला आटा द्रवकी	33	99.00	14464.00	0	14464.00
26	मैसर्स गडकोटी लौहकला उद्योग	34	207.50	97360.00	0	97360.00
27	मैसर्स कगास कालीन उद्योग	35	157.50	7311.00	7311.00	पूर्ण भुगतान
28	मैसर्स जानकी रेडीमेड गारमन्ट्स	36	123.75	31534.00	31534.00	पूर्ण भुगतान
कुल राशि, जिसका भुगतान 28 इकाईयों द्वारा किया जाना है :				1184945.00	305258.00	

उक्त तालिका में वर्णित इकाईयों जिनके द्वारा मूलधन एवं ब्याज जमा किया गया है, ने दण्ड ब्याज में माफी हेतु अनुरोध किया गया है।

(ब) विभाग के अन्तर्गत 01 मिनी औद्योगिक आस्थान पुणेटी में अवस्थित है, जिसका कुल एरिया नोटिफिकेशन (अधिसूचना) में 2.50 एकड़ दर्शाया गया है, परन्तु तत्समय नक्शे में कुल एरिया 2.29 एकड़ ही है। इस विषय पर उपजिलाधिकारी चम्पावत से पत्र संख्या 173-74 दिनांक 15 मई, 2023 के माध्यम से मिनी औद्योगिक आस्थान को मापने हेतु अनुरोध किया गया है, कार्यवाही गतिमान है।

(स) दिनांक 31.01.2023 को आयोजित उद्योग मित्र की बैठक में मिनी औद्योगिक आस्थान, पुणेटी में स्थिति भूखण्ड संख्या-30, मै0 सूरज मार्बल, प्रो0 श्रीमती कमला बोहरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया था कि कोरोना के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है एवं वर्तमान में मार्बल रखा हुआ है। अतः उनकी इकाई को कार्यरत माना जाये। उक्त विषय पर समिति के निर्देशों के क्रम में उद्योग निदेशालय को पत्र संख्या 1067 दिनांक 17 फरवरी, 2023 तथा पत्रांक 23-सी दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 590/उ0नि0/(पांच)-मि.औ.आ. पुणेटी चम्पावत/2023-24 दिनांक 18 मई, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भू-आवंटन, राजकीय औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड आवंटन हेतु नीति-2016 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इकाई के कार्यरत होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

(II) दिनांक 10.05.2023 को आयोजित बैठक में महाप्रबंधक द्वारा समिति को अवगत कराया गया था कि जनपद के ग्राम ढकना तहसील चम्पावत में लगभग 50 नाली (2.50 एकड़) भूमि, ग्राम डैसली तहसील लोहाघाट में लगभग 100 नाली (05 एकड़) भूमि तथा छीनीगोट (कम्पार्ट 02) टनकपुर, वन विभाग के स्वामित्व में 23 है. (57 एकड़) भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जिसे चिन्हित भी कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य स्थानों पर भूमि चयनित करने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। उपजिलाधिकारी, चम्पावत को कार्यालय के पत्र संख्या 15-सी/जि.उ.के./मि.औ.आ. /2023-24 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के माध्यम से ग्राम ढकना की संदर्भित भूमि का विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय के पत्र संख्या 326-27/जि.उ.के./प्रस्ता.औ.आ./2023-24 दिनांक 01 जून, 2023 द्वारा ग्राम डैसली तहसील लोहाघाट में लगभग 100 नाली (05 एकड़) भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु महानिदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है, कार्यवाही गतिमान है।

(III) सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा विगत बैठक के निर्णय के क्रम में अवगत कराया कि एक जनपद दो उत्पाद के सम्बंध में लौह कला ग्रोथ सेन्टर, लोहाघाट में स्कैपयार्ड विकसित किये जाने हेतु निरीक्षण किया गया है तथा स्कैपयार्ड हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग से आगणन मांग गया है।

कार्यवाही :-

कार्यालय के पत्र संख्या 1122-सी/दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत से आगणन मांगा गया है। पुनः कार्यालय के पत्र संख्या 182-183/जि.उ.के./जि.उद्यो. मित्र/2023-24 दिनांक 16 मई, 2023 एवं पत्र संख्या 564-65/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023-24 दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से आगणन मांगा गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत के पत्र संख्या 674 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से धनराशि ₹0 8.78 लाख का आगणन कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

(IV) विगत बैठक में सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्राम-नरसिंहडांडा में वुड क्राफ्ट की 21 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने हेतु पुनः प्रयास किये जाये। निर्देशों के अनुपालन में ग्राम-नरसिंहडांडा में वुड क्राफ्ट की 21 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हेतु निदेशालय स्तर से वार्ता की गयी है तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार की आई0डी0पी0एच0 योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

कार्यवाही :-

कार्यालय के पत्र संख्या 369-70/जि.उ.के./प्रशिक्षण/2023-24 दिनांक 12 जून, 2023 एवं पत्र संख्या 572-73/जि.उ.के./हस्त0प्रशिक्षण/2023-24 दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण हेतु उद्योग निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है।

(V) विभागीय प्रगति (वर्ष 2023-24) :- योजनावार प्रगति।

सचिव उद्योग महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 958/VII-3/2022 दिनांक 31.08.2022 जो कि जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को संबोधित है, के क्रम में पी0एम0ई0जी0पी0, एम0एस0वाई0 एवं एम0एस0वाई0 नैनो की प्रगति निम्नानुसार है :-

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :-** योजनान्तर्गत जनपद को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 137 भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय 395 लाख (मार्जिन मनी) का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक कार्यालय को कुल 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तथा कुल 95 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये, जिसमें से 26 आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा 20 आवेदकों को ऋण वितरित कर दिया गया है। जिनमें मार्जिन मनी 72.90 लाख है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :-** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद हेतु 500 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आतिथि तक कुल 712 ऑनलाइन आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये हैं जिसमें से कुल 181 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 132 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 327 आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) :-** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद हेतु 300 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आतिथि तक कुल 259 ऑनलाइन आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये हैं जिसमें से कुल 91 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 46 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 92 आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित है।
- **उद्यम रजिस्ट्रेशन :-** जनपद को विगत वर्ष 2023-24 में उद्यम/औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 190 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा वर्तमान तक 70 उद्यम रजिस्ट्रेशनों का सत्यापन किया गया है।

- एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था - वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 आवेदन आतिथि तक प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष 09 आवेदनों पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिनमें धनराशि ₹0 3.64 करोड़ तथा 64 रोजगार प्रस्तावित है।
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में दो दिवसीय कुल 25 जागरूकता शिविर कार्यक्रम कराये जाने प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय स्तर पर सम्पन्न करा लिये गये हैं।

(VI) जनपद में उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना :-

- विगत बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में इस कार्यालय में एम0एस0एम0ई0-2015 नीति के अंतर्गत स्थापित मै0 एम0जे0 होटल रिजोर्ट, लोहाघाट द्वारा पेयजल संयोजन नहीं मिल पाने के कारण व्यवसाय में हो रही असुविधा के विषय में अवगत कराया गया है।

उक्त पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा बैठक में उपस्थित जल संस्थान अधिकारी से स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर जल संस्थान अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मै0 एम0जे0 होटल का स्वयं बोरिंग है, ओर ग्रामीण क्षेत्र में है। होटल के अनुसार अधिक पानी आवश्यकता अधिक पानी की है, इसलिए नये स्थान पर बोरिंग करा लिया जाये। इसके अतिरिक्त जल संस्थान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 एम0जे0 होटल रिजोर्ट, लोहाघाट से 01 कि0मी0 की दूरी पर राइकोट महर गांव में जल निगम मिशन के अंतर्गत एक ट्यूबवैल प्रस्तावित है। जो कि 2024 तक हो पायेगा।

निर्णय :-

- अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल संस्थान अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि लिखित में एक पत्र आवेदक को दीजिए तथा प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय को की जाये।
कार्यवाही :- कार्यालय के पत्र संख्या 180-81/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023-24 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, जल संस्थान चम्पावत को मै0 एम0जे0 होटल रिजोर्ट, लोहाघाट की पेयजल संयोजन हेतु इकाई से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था, कार्यवाही गतिमान है।

- विगत बैठक में सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 हिमालयन बास्केट द्वारा प्रस्तावित छुरपी उत्पादन इकाई के निर्माण/स्थापना हेतु विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं मिलने के संबंध में विद्युत आपूर्ति चल्थी विद्युत फीडर के स्थान पर मुडियानी विद्युत फीडर से आपूर्ति कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त पर बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में विद्युत फीडर का प्रस्ताव मतस्य विभाग का भी है जिस हेतु लगभग धनराशि ₹0 16.00 लाख का प्रस्ताव मतस्य विभाग को भेजा गया है। बैठक में उपस्थित मै0 हिमालयन बास्केट, के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि फीडर स्थापना पर आने वाले व्यय में से धनराशि ₹. 5 लाख तक का व्यय इकाई वहन करने को तैयार है।

निर्णय :-

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस आशय का लिखित में एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाये। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष धनराशि का वहन प्रशासन द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही :- कार्यालय के पत्र संख्या 407-08/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023-24 दिनांक 15 जून, 2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग चम्पावत को मै0 हिमालयन बास्केट द्वारा चम्पावत में प्रस्तावित दुग्ध प्रसस्करण इकाई की स्थापना हेतु चल्थी फीडर के स्थान पर मुडियानी फीडर से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु इकाई धनराशि ₹0 5 लाख की धनराशि वहन करने को तैयार है। आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में कार्यालय विद्युत विभाग द्वारा पत्र संख्या 637 / दिनांक 03.07.2023 जो कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चम्पावत को संबोधित है एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, अद्यतन कराया गया है कि शीतजल मत्स्यकीय अनुसंधान छीडापानी चम्पावत के विद्युत आपूर्ति को चल्थी फीडर से मुडियानी फीडर में बदलने का अनुरोध किया गया है। जिसमें आने वाली 11 कैंटीन लाईन 1.0 कि०मी० को स्थानान्तरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में शीतजल मत्स्यकीय अनुसंधान छीडापानी कार्यालय द्वारा पत्रों के माध्यम से ₹० 1581891.00 की धनराशि का भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु वर्तमान तक उक्त धनराशि का भुगतान इस खण्ड कार्यालय को नहीं किया गया है।

(VII) आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना :- एम०एस०एम०ई० नीति-2015 के अन्तर्गत स्थापित पॉल्ट्री इकाईयों की के सम्बन्ध में "ऐसी पॉल्ट्री इकाईयां जो पूर्व में स्थापित एवं उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है तथा वर्तमान में हैविंग मशीन स्थापित करना चाहती हैं, को एम०एस०एम०ई० नीति-2015 (यथा संशोधित-2020) के तहत अनुमन्य वित्तीय लाभों हेतु अनुमति प्रदान करना चाहेंगे" के सम्बन्ध में उक्तानुसार निदेशालय को कार्यालय के पत्र संख्या 458-सी दिनांक 06 जुलाई, 2023 के द्वारा संदर्भित किया गया है।

(VIII) रूग्ण इकाईयों के संबंध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णित करना :- जनपद में किसी भी इकाई का रूग्ण घोषित करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(IX) उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 (यथा संशोधित 2011) के तहत प्राप्त उपादान, दावे :- यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त थी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2930 / VII-II / 123-उद्योग / 08 / 2011 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के प्रस्तर-3 योजना की वैधता अवधि के अनुसार पात्र इकाईयों, जो 31 मार्च, 2015 तक स्थापित होंगी, को स्थापित होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा सके पश्चात मार्च, 2018 तक स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से क्रमश 9.8, तथा 7 वर्ष के लिए अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी। उक्त नीति के तहत विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता हेतु 03 इकाईयों के दावे प्राप्त हुए हैं। जिनकी कार्यालय स्तर पर जाँच की गयी। समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत (सूची संलग्न)।

(ब) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना :- राज्य सरकार द्वारा एम०एस०एम०ई० नीति- 2015 यथा संशोधित 2020, के तहत नीति के अनुसार स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उद्यम स्थापनार्थ लिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज में प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है। यह नीति 31.01.2015 से 31.07.2023 तक प्रवर्त है।

एम०एस०एम०ई० नीति-2015 के तहत वर्तमान में कार्यालय को 15 इकाईयों के ब्याज उपादान दावे प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 05 इकाईयों के दावे प्रक्रियाधीन तथा 10 इकाईयों के दावे समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत हैं। (सूची संलग्न)

नये उद्यमों का विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति योजना :-

(अ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 यथा संशोधित 2011 में विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ब) एम०एस०एम०ई० उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यालय को 05 इकाईयों के विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 04 इकाईयों के दावे प्रक्रियाधीन तथा 01 इकाई का दावा समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत हैं (सूची संलग्न)।

एम0एस0एम0ई0 नीति-2015 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना :-
एम0एस0एम0ई0 उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यालय को जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित 01 इकाई के निवेश प्रोत्साहन सहायता दावा प्राप्त हुआ। दावा समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत है (सूची संलग्न)।

(X) विगत बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2003-सेन्ट्रल एकसाइज के द्वारा 2003 में कतिपय क्षेत्रों को औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था। इनमें से वर्ष 2008 में ग्राम पऊ, पाटन इंडस्ट्रीयल एरिया, हेतु 9.911 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव, अन्य स्थानों के प्रस्ताव के साथ-साथ उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.04.2023 को सचिव, उद्योग महोदय द्वारा इस विषय में जानकारी चाही गयी थी (संलग्न)। उक्त पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि उक्त भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव की पत्रावली प्रस्तुत की जाये तथा महोदय के हस्ताक्षरों से एक पत्र सचिव, एम0एस0एम0ई0 को प्रेषित किया जाये।

उक्त क्रम में उपजिलाधिकारी लोहाघाट, को कार्यालय के पत्र संख्या 485-86/मि.औ.आ. /2023-24 दिनांक 10 जुलाई, 2023 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था :-

- (अ) भूमि के फोटोग्राफ।
 - (ब) भूमि की वर्तमान स्थिति।
 - (स) भूमि विवरण हेतु खतौनी।
- कार्यवाही गतिमान है।

(XI) उपसचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या द्वारा उनके पत्र संख्या 752/VII-2-23/19(32)-एम0एस0एम0ई0/2017 दिनांक 02 मई, 2023 के माध्यम से श्री हरीश चन्द्र पाण्डे चम्पावत के अनुरोध पत्र दिनांक 21.04.2023 को संदर्भित किया गया है जिसमें अवगत कराया गया है कि रीठा साहिब से चूका तक कई स्थानों पर सीमेंट बनाने वाला पत्थर उपलब्ध है एवं टनकपुर झूलाघाट (IT) रोड पर आबादी भी नहीं है और टनकपुर वहां से काफी नजदीक है। अतः बाहर से किसी निवेशक को आमंत्रित कर क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री का परीक्षण करवाये जाने के सम्बंध में अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में उपसचिव महोदय द्वारा प्रस्तावित स्थल का परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट आख्या/अभिमत शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, तथा जियोलाजिस्ट, खनन विभाग मिलकर संयुक्त निरीक्षण करें।

कार्यवाही :- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र संख्या 355-56/जि.उद्यो.मि./जि.उ. के/2023-24 दिनांक के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की है:-

1. उपजिलाधिकारी, चम्पावत।
2. उपनिदेशक, भू-वैज्ञानिक चम्पावत।
3. जिला खनन अधिकारी, चम्पावत।
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।

कमेटी द्वारा दिनांक 17.06.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

(XII) मिनी औद्योगिक आस्थान पुनेटी, चम्पावत में भूखण्ड संख्या 17 के आवंटी द्वारा यूनियन बैंक, चम्पावत से लिये गये ऋण को नहीं चुकाये जाने पर बैंक द्वारा भूखण्ड पर प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया गया है जिसका ई-आवशन जल्द ही बैंक द्वारा कराया जायेगा।

उक्त भूखण्ड की 27 जुलाई, 2023 को ऑनलाइन नीलामी होनी है।

(XIII) जनपद चम्पावत में उद्योगों को पैकेजिंग की सुविधा/परामर्श हेतु एक कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस सम्बंध में भारतीय पैकेजिंग संस्थान दिल्ली से पत्राचार किया गया है। इस क्रम में आई.आई.पी. द्वारा प्रोफाम्ब इन्वाइज प्रेषित किया गया है। जिसके माध्यम से धनराशि ₹0 85000.00 की धनराशि की मांग उनके सलाहकार के प्रस्तावित एक दिवसीय निरीक्षण हेतु की गयी है।

निर्णय :-

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि जिला योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वहन किया जाये। उक्त कार्य पी0ए0सी के द्वारा कराया जाये तथा डी0जी0 यूकोस्ट को एक पत्र महोदय के हस्ताक्षरों से (आदर्श चम्पावत के अंतर्गत) प्रेषित किया जाये।

उक्त के अनुपालन में महोदय के हस्ताक्षरों से पत्र संख्या 244/आदर्श चम्पावत/उद्यो.मि./2023-24 दिनांक 23 मई, 2023 के द्वारा महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद,(यूकोस्ट) देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है।

(XIV) मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में स्थित उनको आवंटित भूखण्ड संख्या 36, 20 एवं 19 पर उत्पाद परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में निदेशक उद्योग, देहरादून को कार्यालय के पत्र संख्या 1061/जि.उ.के./उद्योग मित्र/2022-23 दिनांक 16.02.2023 एवं पत्र संख्या 21-सी/उ0मि0/मि0औ0आ0/2022-23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 तथा पत्र संख्या 247-48 दिनांक 23 मई, 2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 681 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि मिनी औद्योगिक आस्थान में विनिर्माण गतिविधियों एवं चिन्हित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों हेतु उत्पाद परिवर्तन किये जाने के लिए जिले में गठित जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के पत्रांक 394-सी/(पांच-औ.आ.शा.दे./2023-24 दिनांक 01 मई, 2023 द्वारा प्रेषित शासनादेश संख्या- 999/VII-2/34-एम.एस.एम.ई./2016 दिनांक 26 मई, 2016 के अतिरिक्त संशोधित ज्ञाप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

(XV) विगत बैठक में उपस्थित मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी के उद्यमियों द्वारा आस्थान में नाली की समस्या के बारे में अवगत कराया गया कि बरसात में नाली का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे की परेशानी हो रही है तथा आस्थान की नालियों की मरम्मत भी करवायी जानी है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में नाली के पुनर्निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग से पत्र संख्या 186-87/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि.त्र./2023-24 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से आगणन मांगा गया है। कार्यवाही गतिमान है।

(XVI) विगत बैठक में उपस्थित मै0 मेलकूना रपाइसेस के उद्यमी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इकाई के जी0एस0टी0 बिल, प्रोडेक्शन बिल कार्यालय में जमा किये, लेकिन कार्यालय द्वारा उनकी इकाई को अकार्यरत बताया जा रहा है। इकाई स्वामी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जी0एस0टी0 बिल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं तथा महीने में 05-06 दिन कार्य किया जाता है जिसमें कि मसाले एक साथ पीसकर रखे जाते हैं तथा स्टॉक में मसाले उपलब्ध है कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। इकाई की प्रति वर्ष 25-30 लाख की औसत सैल होती है।

उक्त पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि जब भी इकाई का निरीक्षण किया जाता है इकाई बन्द पायी जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इकाई के स्वामी से इकाई की स्थिति के

बारे में समस्त साक्ष्य महाप्रबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा इकाई के प्रकरण पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा महाप्रबंधक संयुक्त रूप से जांच कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।

उक्त के क्रम में संयुक्त जांच कर ली गयी है, जिसकी आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

नवीन बिन्दु :-

1- एम0एस0एम0ई0 नीति-2015 (यथा संशोधित 2020) के तहत 01 इकाई मैसर्स हाइड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट ग्राम पाटन तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे का निवेश प्रोत्साहन दावा कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच करने पर उद्यमी द्वारा आवेदित हाइड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट नाम से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि स्थल पर नहीं पायी गयी है।

उक्त इकाई का प्रकरण पूर्व में दिनांक 20.07.2021 की जिला उद्योग मित्र बैठक में रखा गया था। समिति द्वारा इकाई द्वारा दर्शायी गयी दो गतिविधियाँ (हाइड्रोफोनिक तकनीक से हरे चारे का विनिर्माण तथा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट) में से मेजर गतिविधि को एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन उपादान दावा हेतु लिया जाये। उक्त पर समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इकाई को पत्रांक 688-89 दिनांक 23.09.2021 प्रेषित किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से, जो कार्यालय में दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ था, केवल मेजर गतिविधि को ही लिये जाने में असहमति जतायी थी। प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

2- मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज, गुदमी बनबसा, तहसील पूर्णागिरी, जिला चम्पावत, प्रो0 श्री सोनू सक्सेना द्वारा अपनी इकाई में प्रतिवर्ष अक्टूबर से जनवरी तक 04 माह का ऑफ सीजन बताया गया है। उक्त ऑफ सीजन को उद्योग बंद की श्रेणी में माना जाय अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 132-33 दिनांक 06 मई, 2023 से निदेशक उद्योग महोदय, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से मार्गदर्शन चाहे गये थे। उक्त के क्रम में उद्योग निदेशालय के पत्रांक 736/उ0नि0(पांच)-एम0एस0एम0ई0-2015/2023-24 दिनांक 29 मई, 2023 से निर्देशित किया गया है कि :-

- a) इकाई के बन्द/कार्यरत रहने के सम्बन्ध में एम.एस.एम.ई. नीति-2015 में उल्लिखित सक्षम समिति (उपादान रु0 10लाख तक में जनपद स्तरीय समिति) को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।
- b) इकाई के बार-बार अकार्यरत पायी जाती है और इकाई द्वारा 04 माह ऑफसीजन होने के कारण बन्द होने का उल्लेख किया गया है तो इस सम्बन्ध में इकाई से निम्नांकित दस्तावेज प्राप्त कर इकाई के कार्यरत/अकार्यरत होने का सत्यापन किया जा सकता है :-
 1. छः माह का विद्युत बिल।
 2. महीनों का कार्यरत होने का वीडियो।
 3. छः माह माह के कच्चे माल का बीजक।
 4. छः माह के उत्पाद विक्रय का बीजक।
 5. जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति।

उक्त के क्रम में कार्यालय पत्रांक 340-41 दिनांक 06 जून, 2023 से उक्त बिन्दु संख्या 02 के अनुसार अपेक्षित प्रपत्र वांछित किये गये थे, जो इकाई द्वारा अपने पत्रांक KIB/DIC/2023-24/057 दिनांक 07 जून, 2023 से उक्त अपेक्षित प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध

कराये गये हैं। जिनका कार्यालय स्तर पर अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के उपरान्त संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक कुल 12 विद्युत बिल जिनमें कुल 2,83,545 यूनिट बिजली खपत तथा मूल्य रू0 14,70,472.00 दर्शाया गया है।
2. माह अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के कुल 60 कच्चा माल क्रय बिल जिनमें कुल खरीद मूल्य रू0 89,97,066.00 दर्शाया गया है।
3. माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक के जी0एस0टी0 रिटर्न, जिनमें कुल टैक्सेवल वैल्यू रू0 64,39,375.00 दर्शायी गयी है।
4. माह अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक उत्पाद विक्रय बीजक, जिनमें कुल धनराशि रू0 83,22,994.00 दर्शायी गयी है।
5. मशीनों का कार्यरत होने का वीडियो विभाग के ई-मेल पर दिनांक 06 जून, 2023 को प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रपत्र इकाई के ब्याज उपादान दावों तथा विद्युत प्रतिपूर्ति दावों के क्रम में इकाई द्वारा घोषित 04 माह ऑफसीजन के संदर्भ में वांछित किये गये हैं। उक्त प्रकरण समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

2- मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थित मै0 विजय टायर रिट्रेडिंग प्रो0 श्री विजय चौधरी ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला उद्योग केन्द्र में जब से उद्योग स्थापित हुए हैं तब से हम विजय टायर ट्रेडिंग उद्योग के नाम से काम कर रहे हैं समय की जरूरत को देखते हुए हमारी मशीने व किया हुआ निर्माण कार्य कम पड़ रहा है। मैन रोड में आउलेट के लिए स्थान एवं जरूरत के अनुसार बैंक से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 252/2023 '11 डिस्ट्रिक्ट 11 डेस्टीनेशन के अन्तर्गत चम्पावत नगर में हिमाद्री एम्पोरियम केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। उक्त घोषणा के अन्तर्गत मिनी औद्योगिक आस्थान, चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर एक अविकसित स्थान स्थित है। यह स्थान भूखण्ड रिक्त एवं अनावंटित है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग मीटर है। इस भूखण्ड पर 'हिमाद्री एम्पोरियम' का निर्माण गतिमान है। यह भूमि उद्योग विभाग के अधीन है।

अतः निदेशालय से इस हेतु स्वीकृति वांछित है।

4- अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।


(डा0 दीपक मुरारी)
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
चम्पावत।



District Industries Centre, Champawat

Govt. of Uttarakhand

District level Udyog Mitra at District Collectorate Meeting Hall
on 28-Jul-2023

Agenda

issue related mini industrial area punethi

Champawat

Selection of land at Daisili Tehsil Lohaghat for mini industrial area

Regarding scrapyard development at iron growth centre

Lohaghat

Woodcraft training at Nurshing Danda

Departmental progress

Issues related to industries(M/s MJ hotel & resort

Lohaghat and M/s Himalayan Basket

Champawat)

Related to sick units(No issue)

Integreted Industrial Development Policy 2008

MSME Policy 2015

Regarding mini industrial area development at Pau-Patan

Regarding Auction by Union Bank Champawat under surfacy act against non-functional unit on plot no.17 at mini industrial area
punethi

Regarding establishment of common packaging facility centre at Champawat

Regarding change in product for industrial unit at plot no. 36

Note: This is system generated invite.



District Industries Centre, Champawat

Govt. of Uttarakhand

20 and 19

Regarding repair work in mini industrial estate

punethi

Champawat

Regarding submission of investigation report on M/s Malkuna Spices

Regarding claim of M/s Hydroponic fodder and milk processing unit at lohaghat and M/s Kirti India Beverage at Banbasa under MSME Policy 2015

Regarding allotment of plot to M/s Vijay Tire Retreading. Pro. Mr Vijay Chaudhary

Issue regarding Poultry unit established under MSME Policy 2015

Participants

Dr. Deepak Murari
GM DIC, Champawat

Note: This is system generated invite.